न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 190 / 2022

1 रूड़ी देवी उम्र 68 साल पत्नी रतनलाल
2 रामप्रताप उम्र 43 साल पुत्र रतनलाल
3 गणेश कुमार उम्र 41 साल पुत्र रतनलाल
4 कमला उम्र 39 साल पुत्री रतनलाल
5 आशा उम्र 37 साल पुत्री रतनलाल
6 सुमन उम्र 35 साल पुत्री रतनलाल
7 नौरंगलाल उम्र 33 साल पुत्र रतनलाल जातियान माली निवासीगण कुआ मिश्रवाली वार्ड नम्बर 5 कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 ओनाड़ पुत्र भागीरथमल उम्र 67 साल जाति माली निवासी ढाणी मिश्रवाली वार्ड नम्बर 5 कस्बा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2 तीजा देवी पुत्री भागीरथ पत्नी गीगाराम उम्र 71 साल जाति माली निवासी ढाणी मुनका की ग्राम बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 बिदामी देवी पुत्री भागीरथमल पत्नी कानाराम उम्र 73 साल जाति सैनी माली निवासी ग्राम ककराना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
4 श्रवण कुमार
5 सुमेर
6 नन्दलाल पुत्रान शिवपालराम जाति माली रखावाली ग्राम नेवरी तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं।
7 प्रहलादराम उम्र 53 साल
8 गोदाराम उम्र 48 साल
9 रामकुमार उम्र 43 साल
10 सीताराम उम्र 37 साल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 बसीराम उम्र 33 साल पुत्रान मंगलराम जाति माली निवासी कुआं मिश्रवाली वार्ड नम्बर 5 कस्बा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
12 मोहनी पुत्री मंगलाराम पत्नी छोटूराम उम्र 50 साल जाति माल निवासी कुआं मिश्रवाली वार्ड 5 कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं हाल निवासी ग्राम चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
13 नानूड़ी पुत्री मंगलाराम पत्नी मदनलाल उम्र 41 साल जाति माली निवासी कुआ मिश्रवाली वार्ड नम्बर 5 कस्बा उदयपुरवाटी हाल निवासी दानसिंह की ढाणी ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
14 दयालाराम पुत्र भगवानाराम उम्र 69 साल जाति माली निवासी कुआ मिश्रवाली वार्ड नम्बर 5 कस्बा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
15 भूमि धारक जरिये तहसीलदार कम उप पंजीयक तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2022 प्रार्थना पत्र अ. आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी प्रार्थना पत्र उनवानी मुकदमा रतनलाल बनाम ओनाड़मल वगै. मु.नं. 285/2018 दावा बाबत घोषणार्थ, खाता विभाजन स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति :

1. श्री बनवारी लाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रोहिताश कुल्हरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री जुगलकिशोर सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 13/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 285/2018 में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.31 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.68 हैक्टेयर ग्राम उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी में अवस्थित है। उपरोक्त भूमियां अपीलान्टस/वादीगण के पूर्वज सेडुराम की स्व—अर्जित भूमियां हैं। सेडूराम के भगवाना और भागीरथ हुये, भगवाना के मंगला व दयालाराम हुये। मंगला के प्रहलाद, गोदाराम, रामकुंवार, सीताराम, बंशीराम पुत्रान हुये मोहनी व नानूड़ी पुत्रियां हुई। भागीरथ के शांति, तीजा पुत्रियां तथा रतन व ओनाड़ पुत्र हुये। शांति के श्रवण, सुमेर, नन्दलाल हुये। भूमि खसरा नम्बर 1118 व 1119 शामलाती संयुक्त हिन्दु परिवार की भू—सम्पदा है जिसमें स्व. भागीरथ व विवादित हिस्सा है। स्व. भागीरथ के हिस्सा बाबत में घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था वाद विचाराधीन समयावधि प्रतिवादी संख्या 1 ओनाड़ की तरफ एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया न्यायालय हाजा ने बाद सुनवाई कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा दिनांक 02.11.2022 को खारिज कर डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री में मु.नं. 350/2012 बउनवानी प्रकरण रतनलाल बनाम प्रहलाद वगै. का आधार लेकर मु.नं. 285/2018 निर्णय एवं डिक्री पारित की है किन्तु विचारण न्यायालय में मु.नं. 350/2012 में किसी प्रकार का विधि सम्मत निर्णय पारित नहीं हुआ है। मु.नं. 350/2012 अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज हुआ है। इसलिए

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का आधार सृजन नहीं हुआ है। मु.नं. 350/2012 प्रतिवादी संख्या 9 ओनाड़/रेस्पोडेन्टस संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ है जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष जरिये द्वारका प्रसाद सैनी एडवोकेट दिनांक 19.11.2012 से हाजिर अदालत है। विचारण न्यायलय ने प्रतिवादी संख्या 9/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जवाब दावा पेश करने के लिए 21 अवसर दिये गये है जबकि कानून तामील से 90 दिवस की अवधि जवाब पेश करने का प्रावधान है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विचारण न्यायालय के समक्ष मु.नं. 285/2018 में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में मु.नं. 350/2012 का आधार लिया जाना विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय के समक्ष मु.नं. 350/2012 में ना तो रेस्पोडेन्ट ओनाड़ की तरफ जवाब हुआ, ना ही तनकीयात कायम हुई और ना ही साक्ष्य लिपिबद्ध की गई और ना ही न्यायिक निर्णय पारित हुआ इसलिए आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का आधार विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष मु.नं. 285/2018 निर्णय व डिक्री पारित होने से समयावधि मे तनकीयात कायम नहीं हुई ना ही साक्ष्य में पेश हुई है ना ही न्यायिक निर्णय पारित हुआ। विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादी स्वयं द्वारा ही भूमि खसरा नम्बर 1118/1119 के लिए पूर्व में वाद पेश किया था जिसके मुकदमा नम्बर 350/2012 उनवानी रतनलाल बनाम प्रहलाद आदि विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, जो विचारण न्यायालय में दिनांक 18.06.2014 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिए जाने के पश्चात वादी स्वयं द्वारा ही उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिए जाने का आवेदन जुलाई 2014 में पेश किया गया था जो वाद पत्र विचारण न्यायालय में आज भी विचाराधीन है। उक्त वादपत्र के विचारण न्यायालय में सुनवाई की प्रकिया विचाराधीन रहने के दौरान बिना पूर्व वादपत्र को विड्रा किये विचारण न्यायालय में वाद पत्र पुनः नये सिरे से लाने के कारण वादी का वादपत्र सरसरी तौर पर कानूनी प्रावधानों के मुताबिक पूर्व वाद स्वयं वादी का ही विचाराधीन रहते दूसरा वाद नये सिरे से पेश करने का कोई अधिकार वादी को नहीं होने से नवीन वाद आदेश 07 नियम 11 के तहत वर्जित है। वादी स्वयं विबन्धन के सिद्धान्त से पूर्व वाद पत्र में चाहे गए

भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अनुतोष से प्रतिबन्धित होने के कारण विचारण न्यायालय पुनः उन्हीं पक्षकारों के मध्य अपना नया अनुतोष मांग कर वाद दायर करने का अधिकारी नहीं है। वादी द्वारा पूर्व में पेश वादपत्र संख्या 350/2012 के विचाराधीन रहते नया वादपत्र पेश करने का अधिकार सीमाओं में नहीं है तथा वादी आदेश 02 नियम 02 सीपीसी की उपमद के अन्तर्गत नया वादपत्र विचारण न्यायालय में दायर करने का अधिकार प्रावधानों में ही नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादवादी विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी स्वयं द्वारा ही भूमि खसरा नम्बर 1118/1119 के लिए पूर्व में वाद पेश किया था जिसके मुकदमा नम्बर 350/2012 उनवानी रतनलाल बनाम प्रहलाद आदि विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, जो विचारण न्यायालय में दिनांक 18.06.2014 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिए जाने के पश्चात वादी स्वयं द्वारा ही उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिए जाने का आवेदन जुलाई 2014 में पेश किया गया था जो वाद पत्र विचारण न्यायालय में आज भी विचाराधीन है। उक्त वादपत्र के विचारण न्यायालय में सुनवाई की प्रकिया विचाराधीन रहने के दौरान बिना पूर्व वादपत्र को विड्रा किये विचारण न्यायालय में वाद पत्र पुनः नये सिरे से लाने के कारण वादी का वादपत्र सरसरी तौर पर कानूनी प्रावधानों के मुताबिक पूर्व वाद स्वयं वादी का ही विचाराधीन रहते दूसरा वाद नये सिरे से पेश करने का कोई अधिकार वादी को नहीं होने से नवीन वाद आदेश 07 नियम 11 के तहत वर्जित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलांट चाहे तो पूर्व वाद संख्या 350/2012 को पुनः नम्बर पर लेने पर आदेश 06 नियम 17 के तहत संसोधन करवाने का अधिकारी है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 13/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)